



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08-08-2020

दिनांक 07/08-08-2020 को रात्रि थाना मड़ियाँव 02, सरोजनीनगर 02, ठाकुरगंज 03, कैन्ट 01, हजरतगंज 02, वजीरगंज 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार।

गोसाईगंज:-दिनांक 08-08-2020 को एस0आई0 श्री संजीव कुमार सिंह थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-वीरेन्द्र रावत पुत्र मुरली रावत निवासी सुरियामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम सुरियामऊ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर अभियोग पंजीकृत किया गया।



डी0सी0पी0 मध्य

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना कृष्णानगर:-दिनांक 08-08-2020 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 21-02-2020 को वादी श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 ग्रिन्द सिंह निवासी 155/490 आलू ठोक कोतवाली सिटी जनपद हरदोई द्वारा थाना कृष्णानगर पर अपनी पुत्री श्रीमती आरती सिंह उम्र करीब 29 वर्षा के सम्बन्ध में धारा 498ए/306 भादवि का अभियोग बनाम 01-नागेन्द्र सिंह (पति) व अन्य ससुरालीजनों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 कृष्णानगर द्वारा की जा रही थी। जिनके निर्देान में दिनांक 08-08-2020 को एस0आई0 श्री पंकज सिंह थाना कृष्णानगर लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01-नागेन्द्र सिंह (पति) पुत्र विद्वणु प्रताप सिंह निवासी कनौसी थाना कृष्णानगर लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर कनौसी थाना क्षेत्र कृष्णानगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कृष्णानगर पर आवंट्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

कृष्णानगर:-दिनांक 07-08-2020 को श्री डी0के0 उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर लखनऊ द्वारा अभि0 1-दिनेटा यादव पुत्र स्व0 लक्ष्मण यादव निवासी हसनापुर थाना कृष्णानगर लखनऊ 2-अमन नागर उर्फ ध्रुव कुमार पुत्र सन्तोदा कुमार निवासी 551घ/33 नटखेड़ा रोड़ थाना कृष्णानगर लखनऊ 3-टाहजाद उर्फ गोरा पुत्र आमिर अहमद निवासी गोपालपुरी थाना कृष्णानगर लखनऊ 4-टानि उर्फ चपड़ा पुत्र राजू निवासी हसनापुर थाना

कृदणानगर लखनऊ 5-बाबू यादव पुत्र स्व0 लक्ष्मण यादव निवासी हसनापुर थाना कृदणानगर लखनऊ के विरुद्ध गुण्डा ँकट की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना हुसैनगंज:-दिनांक 08-08-2020 को थाना हुसैनगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 07-08-2020 को वादिनी उम्र करीब 20 वर्दा निवासी सुटान्त गोल्फ सिटी थाना सुटान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा थाना हुसैनगंज पर धारा 354ग भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री रामानन्द पटेल थाना हुसैनगंज लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 08-08-2020 को एस0आई0 श्री रामानन्द थाना हुसैनगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रकाटा में आये अभियुक्त 01-अमर बाल्मीकि पुत्र राजू बाल्मीकि निवासी बाबूगंज थाना हसनगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर बर्लिग्टन चौराहा थाना क्षेत्र हुसैनगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना हुसैनगंज पर आवटयक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

ठाकुरगंज:-दिनांक 08-08-2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री इसरार अहमद पुत्र मो0 इस्लाम निवासी प्लाट नं0 30/31 के0एन0 168 न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड नियर बंगाली पी0सी0ओ0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वादी प्लास्टिक गोल्ड का काम करता है। वादी बकरीद में सपरिवार ग्राम चकनूर थाना परटुरामपुर जनपद बस्ती चला गया था। दिनांक 05-08-2020 को दिन में वादी के पड़ोसी गुप्ता जी का फोन आया और बताया कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है, चोरी हो गयी है। इसके बाद वादी तुरन्त अपने गांव से लखनऊ अपने घर आ गया, घर आकर देखा तो घर का ताला टूटा पड़ा था तथा घर के अन्दर अलमारी व बेड का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वादी के घर में रखा नकद रुपया तथा पत्नी के जेवरात को भी अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था। चोरी गये सामान के विवरण वादी ने बाद में देने को कहा है। इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 450/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री जगदीश पाण्डेय मो0नं0 9415324700 द्वारा की जा रही है।

